झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के तहत् वर्ष 2022 एवं 2023 की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में।

विज्ञप्ति संख्या - 01/2024

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या- 826 दिनांक- 14.03.2019 तथा 340 दिनांक- 21.02.2022 के आलोक में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत् परीक्षा वर्ष 2022 एवं 2023 आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को क्रमशः द्वितीय एवं प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जानी है। संबंधित छात्र/छात्राओं/उनके अभिभावकों/संबंधित विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु निम्नवत् प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रपत्र भरा जा सकेगा :-

- छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु आवेदन प्रपत्र परिषद् के website-jac.jharkhand.gov.in/jac/ पर उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर आवेदन प्रपत्र भरा जा सकेगा।
- आवेदन प्रपत्र में अपनी विवरणी सही-सही अंकित करेंगे।
- कटे-फटे या अधुरे आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- आवेदन प्रपत्र को भरने के पश्चात् अपने विद्यालय प्रधान के पास जमा करेंगे। विद्यालय प्रधान सही रूप से जाँच कर समेकित विवरणी के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी अनुमोदन के पश्चात् समेकित सूची परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- आवासीय विद्यालय, जहाँ रहने एवं खाने-पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की 50% राशि ही देय होगा। अतः ऐसे छात्र/छात्राओं की समेकित विवरणी अलग-से बनाकर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
- आवेदन प्रपत्र दिनांक- 10.01.2024 से परिषद् के वेबसाईट पर उपलब्ध होगा।
- आवेदन प्रपत्र भरकर विद्यालय प्रधान के पास जमा करने की तिथि- 10.01.2024 से 17.01.2024 तक।
- विद्यालय प्रधान द्वारा भरे हुए आवेदन प्रपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को हस्तगत कराने की अंतिम तिथि-20.01.2024 तक।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भरे हुए आवेदन प्रपत्र परिषद् कार्यालय को हस्तगत कराने की अंतिम तिथि-25.01.2024 तक।
- जिन छात्रों को यह छात्रवृत्ति पहली बार मिलनी है, के आवेदन प्रपत्र के साथ अपना मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का प्रवेश पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक खाते की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
- जिन्हें प्रथम वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त हो चुकी है, को द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए कक्षा 09 में 60% अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अतः द्वितीय वर्ष की छात्रवृत्ति प्राप्ति के लिए ऐसे छात्र/छात्राओं को कक्षा 09 की उत्तीर्णता के अंक पत्र की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा। छात्रवृत्ति की राशि पूर्व में उपलब्ध कराये गये बैंक खाता में ही उपलब्ध करायी जाएगी, इसमें किसी प्रकार का बदलाव स्वीकार्य नहीं होगा।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./- सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

ज्ञापांक: JAC/Sch/CMMS/089/23/Secy/19/24,
दिनांक: 09.01.2024, D.O.P : 10.01.2024